

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.प.एच.

चाव पत्र संख्या 86/2020

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

- | | | |
|---|---|--|
| 1. साहीराम पुत्र स्व. श्री मोतीराम | } | कौम नाई निवासीयान गांव दौलतपुरा
तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) |
| 2. मनोहरलाल चत्तक पुत्र स्व. श्री देवीलाल | | |
| 3. हरचन्द्रराम पुत्र स्व. श्री मोतीराम | | |
| 4. इन्द्राज पुत्र स्व. श्री मोतीराम | | |
| 5. नन्दराम पुत्र स्व. श्री मोतीराम | | |
| 6. बृजमोहन पुत्र स्व. श्री मोतीराम | | |

..... वादीगण

बनाम

- | | | |
|---|---|--|
| 1. धर्मपाल पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल | } | कौम जाट निवासीयान गांव मिर्जेवाला
तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) |
| 2. पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल | | |
| 3. प्रताप पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल | | |
| 4. महावीर पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल | | |
| 5. शान्ति देवी पत्नी स्व. श्री बनवारीलाल | | |
| 6. इन्द्रा [पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल] पत्नी श्री दलीप जाति नाई निवासी गांव धांधू तह
घड़साना | | |
| 7. पुष्पा[पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल]पत्नी श्री पोलाराम जाति नाई निवासी बस स्टैण्ड के पास,
खाजूवाला | | |
| 8. कृष्णलाल पुत्र स्व. श्री मोतीराम (मृतक) | | |
| 8/1. श्रीमती मनोहरी पत्नी स्व. श्री कृष्णलाल | } | कौम नाई निवासीयान गांव दौलतपुरा
तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0) |
| 8/2. सुर्यप्रकाश पुत्र स्व. श्री कृष्णलाल | | |
| 8/3. राणी [पुत्री स्व. श्री कृष्णलाल] पत्नी श्री पवन कुमार जाति नाई निवासी संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज0) | | |
| 8/4. मन्जू देवी [पुत्री स्व. श्री कृष्णलाल] पत्नी श्री दौलतराम जाति नाई निवासी होमलैण्ड
सिटी सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) | | |
| (9). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)। | | |

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित- अधिवक्ता ऋषिपाल जाशी (वादी)
अधिवक्ता विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी-1 ता 7, 8/1ता8/4)
पैरोकार राज (प्रति.-9)

:-: निर्णय :-:

दिनांक 15.04.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 7 क्यू पटवार हल्का
दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता

संख्या 97/57 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 है. नहरी/बारानी एवं मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 है. बारानी कुल 7.590 है. [3.036 है. नहरी + 4.554 है. बारानी] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी संख्या 1 सहीराम पुत्र मोतीराम के नाम 241/2530 हिस्सा यानि 0.723 है., वादी संख्या 2 मनोहरलाल दत्तक पुत्र देवीलाल के नाम 241/2530 हिस्सा यानि 0.723 है., वादी संख्या 3 हरचन्द्रराम पुत्र मोतीराम के नाम 241/2530 हिस्सा यानि 0.723 है. व वादी संख्या 4 इन्द्राज पुत्र मोतीराम के नाम 241/2530 हिस्सा यानि 0.723 है., वादी संख्या 5 नन्दराम पुत्र मोतीराम के नाम 241/2530 हिस्सा यानि 0.723 है., वादी संख्या 6 बृजमोहन पुत्र मोतीराम के नाम 361/3795 हिस्सा यानि 0.722 है कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 7 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 97/57 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खाता संख्या 97/57 के सहकाशतकारान है वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने झगड़ा फसाद से बचने तथा काशत में सहूलियत को मध्य नजर रखते हुए चक 7 क्यू के खाता संख्या 97/57 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की कुल 7.590 है.नहरी/बारानी कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया हुआ है :-

सहीराम पुत्र मोतीराम एवं मनोहरलाल दत्तक पुत्र देवीलाल कौम नाई निवासीयान गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0) ब: हिस्सा बराबर बराबर

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	1 (0.253 है.), 2 (0.089 है. [पश्चिमी हिस्सा किला नम्बर 1 की बट से चिपता]), 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.),	1.354 है. (0.506 है. नहरी + 0.848 है. बारानी)

हरचन्द्रराम पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	7(0.145 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 14 की बट से चिपता]), 8(0.145 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 13 की बट से चिपता]), 9(0.145 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 12 की बट से चिपता]), 12(0.207 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 9 की बट से चिपता]), 13(0.207 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 8 की बट से चिपता]), 14(0.207 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 7 की बट से चिपता]),	1.056 है. (0.207 है. नहरी + 0.849 है. बारानी)

इन्द्राज पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	12(0.046 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 19 की बट से चिपता]), 13(0.046 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 18 की बट से चिपता]), 14(0.046 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 17 की बट से चिपता]), 17(0.096 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 14 की बट से चिपता]), 18(0.096 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 13 की बट से चिपता]), 19(0.096 है.	0.426 है. (0.334 है. नहरी + 0.092 है. बारानी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

	{उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 12 की बट से चिपता}},	
--	--	--

नन्दराम पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

गुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	17(0.157 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 24 की बट से चिपता]), 18(0.157 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 23 की बट से चिपता]), 19(0.157 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 22 की बट से चिपता]), 22(0.048 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 19 की बट से चिपता]), 23(0.048 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 18 की बट से चिपता]), 24(0.048 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 17 की बट से चिपता]),	0.615 है. नहरी

बृजमोहन पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

गुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	22(0.205 है.[दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]), 23(0.205 है.[दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]), 24(0.205 है.[दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]),	0.615 है. नहरी

कृष्णलाल पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

गुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	2(0.164 है.[पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 3(0.253 है.), 4(0.253 है.), 7(0.108 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 4 की बट से चिपता]), 8(0.108 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 9(0.108 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 2 की बट से चिपता]),	0.994 है. बारानी

शान्ति देवी पत्नी बनवारीलाल, इन्द्रा, पुष्पा पुत्रीयां बनवारीलाल, पृथ्वीराज, महावीर, प्रताप, धर्मपाल पिसरान बनवारीलाल कौम नाई साकिन दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0) 2.530 है. हर सात ब:हिस्सा बराबर

गुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.),	1.265 है. (0.759 है. नहरी + 0.506 है. बारानी]
40	1, 10, 11, 20, 21	1.265 है. बारानी
कुल योग 2.530 है. (0.759 है. नहरी +1.771 है. बारानी)		

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के मध्य पारस्परिक सहमति से हुए बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज कारत है। इस

सहमति बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शेड आदि की सुविधाओ से भी वंचित हो रहे है। वादीगण ने पारस्परिक सहमति से हुए विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू प्रतिवादीगण को दिनांक 15/08/2020 को कहा तो प्रतिवादीगण ने टाल मटोल करते हुए इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुखारमत है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

- (क) कि चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 97/57 के मुख्या नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 है. नहरी/बारानी एवं मुख्या नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 है. बारानी कुल 7.590 है. [3.036 है. नहरी + 4.554 है. बारानी] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे।
- (ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग-अलग लगान कायम किया जावे।
- (ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- (घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा दिनांक 27.10.2020 को जवाबदावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित पारस्परिक सहमति से किया गया विभाजन स्वीकार है। हम उतरदातागण संख्या 1 ता 7 वाद पत्र में वर्णित अनुसार चक 7 क्यू के मुख्या नम्बर 39 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.265 है. [0.759 है. नहरी + 0.506 है. बारानी] एवं मुख्या नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.265 है. बारानी कुल 2.530 है. (0.759 है. नहरी + 1.771 है. बारानी) कृषि भूमि पर काबिज काश्त है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके ऊपजाऊ बनाया है उक्त किलाजात को अपने नाम करवाने हेतू उतरदातागण द्वारा काऊन्टर क्लेम भी पेश किया गया है। वादीगण संख्या 1 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की इस मद में वर्णित अनुसार कृषि भूमि घोषित की जाती है तो हम उतरदातागण को कोई एतराज नहीं है तथा पूर्णतः सहमत है। वाद पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, इस सीमा तक स्वीकार है कि संयुक्त खाता के खातेदारान का किला विभाजन करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। वाद पत्र की मद उक्त के किलाजात उतरदातागण के नाम करवाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है स्वीकार है प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है भूमि का विभाजन किया हुआ है। संयुक्त खाता में सहकाश्तकारान को सरकारी सुविधाएं लेने, लगान अदा करने में परेशानियां आती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य चक 7 क्यू के संयुक्त खाता 97/57 के मुख्या नम्बर 39 व 40 की कुल 7.590 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि का विभाजन करने से कोई विरोध नहीं है। काऊन्टर क्लेम-

- (क). उतरदातागण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 वाद पत्र में वर्णित अनुसार चक 7 क्यू के मुख्या नम्बर 39 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.265 है. [0.759 है. नहरी + 0.506 है. बारानी] एवं मुख्या नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.265 है. बारानी कुल 2.530 है. (0.759 है. नहरी + 1.771 है. बारानी) कृषि भूमि पर काबिज काश्त है जिसका खाता विभाजन कर अलग से किलाजात


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिए उतरदातागण के उक्त रकबा का खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

(ख). यहकि प्रत्येक सहकाशतकारान द्वारा अपने अपने कब्जा काशत में पैदा हुई फसल को बेचान करने व डिग्गी, खाला आदि बनाने व अन्य सरकारी सुविधाएं लेने में प्रत्येक सहकाशतकारान को अनुचित पक्षकार बनाया जाता है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहुत अधिक समय व धन बर्बाद होता है इसलिए वादीगण एवं मन उतरदाता के के कब्जा काशत की उक्त भूमि का बंटवारा घोषित किया जावे। अतः जवाब वाद पत्र मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार बंटवारा घोषित किया जावे तथा उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की भूमि का बंटवारा करते हुए प्रति. सं. 1 ता 7 शान्ति देवी पत्नी बनवारीलाल, इन्द्रा, पुष्पा पुत्रीयां बनवारीलाल, पृथ्वीराज, महावीर, प्रताप, धर्मपाल पिसरान बनवारीलाल कौम नाई साकिन दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0) की चक 7 क्यू के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) =1.265 है. [0.759 है. नहरी + 0.506 है. बारानी] एवं मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.265 है. बारानी कुल 2.530 है. (0.759 है. नहरी + 1.771 है. बारानी) कृषि भूमि बःहिस्सा बराबर की घोषणा करतें हुए बंटवारा किया जाकर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4 द्वारा दिनांक 27.10.2020 को जवाबदावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित पारस्परिक सहमति से किया गया विभाजन स्वीकार है। हम उतरदातागण संख्या 8/1 के पति व उतरदाता संख्या 8/2, 8/3 व 8/4 के पिताजी कृष्णलाल को घरेलू बंटवारा अनुसार चक 7 क्यू के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 2(0.164 है.[पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 3(0.253 है.), 4(0.253 है.), 7(0.108 है.[उतरी हिस्सा किला नम्बर 4 की बट से चिपता]), 8(0.108 है.[उतरी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 9(0.108 है.[उतरी हिस्सा किला नम्बर 2 की बट से चिपता]) कुल 0.994 है. बारानी कृषि भूमि पर काबिज काशत है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके ऊपजाऊ बनाया है उक्त किलाजात को अपने नाम करवाने हेतू उतरदातागण द्वारा काऊन्टर क्लेम भी पेश किया गया है। वादीगण संख्या 1 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की इस मद में वर्णित अनुसार कृषि भूमि घोषित की जाती है तो हम उतरदातागण को कोई एतराज नहीं है तथा पूर्णतः सहमत है। संयुक्त खाता के खातेदारान का किला विभाजन करने में कोई विधिक बाधा नहीं है । वाद पत्र की मद उक्त के किलाजात उतरदातागण के नाम करवाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रत्येक सहकाशतकार अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज काशत है भूमि का विभाजन किया हुआ है। संयुक्त खाता में सहकाशतकारान को सरकारी सुविधाएं लेने, लगान अदा करने में परेशानियां आती है। वाद पत्र की मद संख्या 6 वाद कारण बनाने के लिए दर्ज की गई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य चक 7 क्यू के संयुक्त खाता 97/57 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की कुल 7.590 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि का विभाजन करने से कोई विरोध नहीं है। काऊन्टर क्लेम -

(क). यहकि उतरदातागण/प्रतिवादीगण संख्या 8/1 के पति व उतरदाता संख्या 8/2, 8/3 व 8/4 के पिताजी कृष्णलाल को घरेलू बंटवारा अनुसार चक 7 क्यू के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 2(0.164 है.[पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 3(0.253 है.), 4(0.253 है.), 7(0.108 है. [उतरी हिस्सा किला नम्बर 4 की बट से चिपता]), 8(0.108 है.[उतरी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 9(0.108 है.[उतरी हिस्सा किला नम्बर 2 की बट से चिपता]) कुल 0.994 है.बारानी कृषि भूमि प्राप्त हुई जिसके हम उतरदातागण पर काबिज काशत है जिसका खाता विभाजन कर अलग से किलाजात अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिए उतरदातागण के उक्त रकबा का खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(ख). यहकि प्रत्येक सहकारतकारान द्वारा अपने अपने कब्जा काशत में पैदा हुई फसल को बेचान करने व डिग्गी, खाला आदि बनाने व अन्य सरकारी सुविधाएं लेने में प्रत्येक सहकारतकारान को अनुचित पक्षकार बनाया जाता है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहुत अधिक समय व धन बर्बाद होता है इसलिए वादीगण एवं मन उतरदाता के के कब्जा काशत की उक्त भूमि का बंटवारा घोषित किया जावे। अतः जवाब वाद पत्र मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार बंटवारा घोषित किया जावे तथा उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की भूमि का बंटवारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 8/1, 8/2, 8/3 व 8/4 की चक 7 क्यू के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 2(0.164 है.[पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 3(0.253 है.), 4(0.253 है.), 7(0.108 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 4 की बट से चिपता]), 8(0.108 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 9(0.108 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 2 की बट से चिपता]) कुल 0.994 है.बारानी कृषि भूमि श्रीमती मनोहरी पत्नी स्व. श्री कृष्णलाल, सुर्यप्रकाश पुत्र स्व. श्री कृष्णलाल, राणी, मन्जू देवी पुत्रीयां स्व. श्री कृष्णलाल जाति नाई निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की ब:हिस्सा बराबर की घोषणा करतें हुए बंटवारा किया जाकर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

—: आदेश :-

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम का नाम 7 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षे. दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 97/57 की फोटो प्रति पेश की। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 का मृत्यु प्रकरण पत्र एवम् वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दौलतपुरा/वारिसनामा दिनांक 01.10.2019 पेश किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं एवं अपना अपना खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। अतः वाद वादी एवं काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं प्रतिवादी 8/1 ता 8/4 स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :-

सहीराम पुत्र मोतीराम एवं मनोहरलाल दत्तक पुत्र देवीलाल कौम नाई निवासीयान गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0) ब: हिस्सा बराबर बराबर

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	1 (0.253 है.), 2 (0.089 है.[पश्चिमी हिस्सा किला नम्बर 1 की बट से चिपता]), 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.),	1.354 है. (0.506 है. नहरी + 0.848 है. बारानी)

हरचन्द्रराम पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	7(0.145 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 14 की बट से चिपता]), 8(0.145 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 13 की बट से चिपता]), 9(0.145 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 12 की बट से चिपता]), 12(0.207 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 9 की बट से चिपता]), 13(0.207 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 8 की बट से चिपता]), 14(0.207 है.[उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 7 की बट से	1.056 है. (0.207 है. नहरी + 0.849 है. बारानी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

	चिपता)),	
--	----------	--

इन्द्राज पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	12(0.046 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 19 की बट से चिपता]), 13(0.046 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 18 की बट से चिपता]), 14(0.046 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 17 की बट से चिपता]), 17(0.096 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 14 की बट से चिपता]), 18(0.096 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 13 की बट से चिपता]), 19(0.096 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 12 की बट से चिपता]),	0.426 है. (0.334 है. नहरी + 0.092 है. बाराणी)

नन्दराम पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)


मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	17(0.157 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 24 की बट से चिपता]), 18(0.157 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 23 की बट से चिपता]), 19(0.157 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 22 की बट से चिपता]), 22(0.048 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 19 की बट से चिपता]), 23(0.048 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 18 की बट से चिपता]), 24(0.048 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 17 की बट से चिपता]),	0.615 है. नहरी

बृजमोहन पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	22(0.205 है. [दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]), 23(0.205 है. [दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]), 24(0.205 है. [दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]),	0.615 है. नहरी

कृष्णलाल पुत्र मोतीराम कौम नाई निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0)

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	2(0.164 है. [पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 3(0.253 है.), 4(0.253 है.), 7(0.108 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 4 की बट से चिपता]), 8(0.108 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 3 की बट से चिपता]), 9(0.108 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 2 की बट से चिपता]),	0.994 है. बाराणी


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

शान्ति देवी पत्नी बनवारीलाल, इन्द्रा, पुष्पा पुत्रीयां बनवारीलाल, पृथ्वीराज, महावीर, प्रताप,
धर्मपाल पिसरान बनवारीलाल कौम नाई साकिन दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर (राज0) 2.530
है. हर सात बःहिरसा बराबर

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
39	5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.),	1.265 है. {0.759 है. नहरी + 0.506 है. बारानी}
40	1, 10, 11, 20, 21	1.265 है. बारानी
कुल योग 2.530 है. (0.759 है. नहरी +1.771 है. बारानी)		

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.04.2021 को जारी किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतन)
उपसम्यक् अधिकारी (राजस्व)
पदेन् सहायक अधिकारी
श्रीगंगानगर